भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
**लोक सभा**
**तारांकित प्रश्न सं. 153**
10 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

**विषय: जैविक खेती के अंतर्गत किसान समूह**

***153. श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डीः**

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2024 से आंध्र प्रदेश राज्य में परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत कितने किसान समूहों का गठन किया गया है और कुल कितने क्षेत्र को जैविक खेती के अंतर्गत लाया गया है;

(ख) इस अवधि के दौरान राज्य द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत और जारी की गई तथा उपयोग में लाई गई है;

(ग) विलंब अथवा बाजार में मान्यता न मिलने के कारण भागीदारी वाली गारंटी प्रणाली (पीजीएस-इंडिया) के अंतर्गत प्रमाणन की प्रतीक्षा कर रहे किसानों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में प्रमाणित जैविक किसानों के लिए खरीद सहायता, उचित मूल्य की प्राप्ति और बाजार संपर्क सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)**

(क) से (ड.): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**'जैविक खेती के अंतर्गत किसान समूह' विषय के संदर्भ में माननीय सांसद श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी द्वारा पूछे गए लोक सभा में दिनांक 10 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. 153 के भाग (क) से (ड.) तक के संबंध में उल्लिखित विवरण।**

(क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के शुभारंभ से लेकर दिनांक 31.12.2025 तक 5,300 क्लस्टर गठित किए गए हैं। आंध्र प्रदेश राज्य में दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से दिनांक 31.12.2025 तक 91,753 किसानों (38,097 हेक्टेयर क्षेत्र) को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस अवधि के दौरान राज्य को ₹57.46 करोड़ की राशि जारी की गई है। इसमें से ₹28.00 करोड़ का उपयोग राज्य द्वारा किया जा चुका है।

(ग) सहभागी गारंटी प्रणाली (पीजीएस) - इंडिया ऑर्गेनिक प्रमाणन कार्यक्रम के अंतर्गत एक अनिवार्य प्रक्रिया है, जिसमें स्थानीय समूह की बैठक/प्रशिक्षण, सहकर्मी निरीक्षण, क्षेत्रीय परिषदों द्वारा ऑनलाइन सत्यापन और फिर प्रमाण पत्र जारी करना शामिल है। आंध्र प्रदेश राज्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीकेवीवाई के अंतर्गत आने वाले 33,300 किसान पीजीएस - इंडिया ऑर्गेनिक प्रमाणन के तहत पंजीकृत हैं। इनमें से 15,433 किसानों को पीजीएस प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, जैविक खेती करने वाले 17,867 किसान, प्रमाणन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं।

(घ) और (ङ) खाद्यान्नों की खरीद उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा की जाती है, जिसका उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दिलाना और कमजोर वर्गों को भोजन उपलब्ध कराना है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के अंतर्गत मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर की जाती है। हालांकि, जैविक कृषि उत्पादों के लिए अलग से कोई खरीद कार्यक्रम नहीं है।

पीकेवीवाई योजना के तहत, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 03 वर्षों में प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता ऑन-फार्म/ऑफ फार्म जैविक इनपुट के लिए, 4,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए, 3,000 रुपये प्रति की हेक्टेयर प्रमाणन के लिए और 9,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। आंध्र प्रदेश राज्य जैविक उत्पादों के मार्केट लिंकेज को बढ़ावा देने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों के कौशल को सुदृढ़ बनाने, एकत्रीकरण, मूल्यवर्धन, ब्रांडिंग और पैकेजिंग से संबंधित उद्यम स्थापित करने जैसे कदम उठा रहा है। जैविक उत्पादों के प्रचार और मार्केटिंग को प्रोत्साहित करने के लिए रायथु बाजारों, सरकारी कार्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के परिसरों में जैविक खेती करने वाले किसानों के लिए मुफ्त स्थान आवंटित किया गया है। व्यापार मेले, मेले और हाट (साप्ताहिक बाजार) राज्य और क्षेत्रीय स्तरों पर नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं, जो जैविक खेती करने वाले किसानों को नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड (एनसीओएल), एपी मार्कफेड आदि जैसे संस्थागत खरीदारों से जोड़ते हैं।

*****